तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	राजस्व वाद पत्र संख्या 237 / 2020 उनवान शंकर बनाम सरकार
23/3/2026	पत्रावली पेश हुई वकील पक्षकार उप P.O. व राजकार्य मे व्यस्त। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार वास्ते बहस अग्रिम तिथि 30/3/26 को पेश हो।
30/3/2026	पत्रावली पेश हुई वकील पक्षकार उपस्थित। P.O. सा राजकार्य मे व्यस्त। पत्रावली वास्ते बहस अग्रिम हेतु दिनांक 06/4/2026 को पेश हो।
06/4/26	पत्रावली पेश हुई वकील पक्षकार उपस्थित। वकील पक्षकार को प्रा० पत्र बाबत शरशत पर बहस सुनी गई। बहस पर मनन किया गया। प्रा० पत्र अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। विस्तृत आदेश पृथक से तैयार कर पत्रावली मे शा० किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो। Rajput उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ जिला अजमेर

पीठासीन अधिकारी सुश्री नेहा राजपूत (आई.ए.एस.)

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 237/2020

1.शंकरलाल पुत्र श्री श्योनाथ स्वर्णकार आयु लगभग 66 वर्ष निवासी जिला अजमेर (राज.)

..... प्रार्थी

बनाम

1. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार, किशनगढ जिला अजमेर (राज.)

2. अजमेर विकास प्राधिकरण जरिये आयुक्त व अध्यक्ष, अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर (राज.)

—अप्रार्थीगण

निर्णय प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित वकील प्रार्थी:— श्री जितेन्द्र शर्मा

वकील अप्रार्थी :— श्री पैरोकार सरकार

दिनांक 06.04.2026

1. संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री धनराज शर्मा ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज. का. अधि. के तहत पेश कर निवेदन किया कि वादी ने अप्रार्थीगण के विरूद्ध एक वाद धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का श्रीमान् के न्यायालय में पेश कर रखा है जिसमें वादी के पक्ष में दावा डिक्री होने की प्रबल संभावना है। प्रार्थी को ग्राम नयागांव पटवार क्षेत्र बीती तहसील किशनगढ में दिनांक 19.6.1969 को खसरा नम्बर 353 में से 15 बीघा भूमि आवंटन कमेटी द्वारा आवंटन किया गया था। उक्त भूमि के मौजूदा खसरा नम्बर 547 है जिसका तरमीम में नम्बर 547/4 बन रखा है। उक्त भूमि उस समय प्रार्थी की गैर खातेदारी की थी इसलिये प्रार्थी ने उक्त खसरा नम्बर 547/4 रकबा 15 बीघा भूमि को सहकारी भूमि विकास बैंक अजमेर के पक्ष में उपजिला अधिकारी, किशनगढ़ की अनुमति दिनांक 01.02.1986 को रहन रखकर भूमि विकास बैंक अजमेर के पक्ष में रहन रखी थी। रहन रखने की अनुमति की छाया प्रति पेश की है। उक्त भूमि पर ऋण प्राप्त किया था व प्रार्थी ने उक्त भूमि में कुआ भी खुदवाया था तथा बैंक की राशि की किश्तें भी अदा की है। नकल पासबुक साथ संलग्न है। पटवारी हल्का ने दिनांक 26.09.2002 को गवाहान के समक्ष मौका देखा था व मौका पर्चा बनाया था। मौका पर्चा में मौके पर कुआ भी खुदा हुआ पाया गया व कब्जा भी प्रार्थी का पाया गया। तहसीलदार किशनगढ़ ने अपने पत्र कमांक/क/आ.का. / 4301 दिनांक 10.8.78 को पटवारी हल्का बीती को प्रार्थी के नाम खसरा नम्बर 547/4 रकबा 15 बीघा का अंकन करने की स्वीकृति भी दी थी। प्रार्थी के पक्ष में पूर्व में नामान्तकरण संख्या 366 दिनांक 5. 12.1987 को गैर खातेदारी से खातेदारी दिये जाने हेतु भरा गया था मगर उक्त नामान्तकरण को गलत व खिलाफ कानून दिनांक 5.12.1997 को अस्वीकृत कर दिया गया। तहसीलदार का उक्त आदेश अवैध व शून्य है। प्रार्थी का मौके पर कब्जा है उसके पक्ष में आवंटन दिनांक 19.6.1969 को हुआ था व तहसीलदार ने भी अपने आदेश दिनांक 10.08.1978 में लिखा है कि प्रार्थी ने आवंटन की सभी शर्तों को पूरा कर लिया है। प्रार्थी के आवंटन को करीब 51 वर्ष पूरे हो चुके है जो 10 वर्ष से ज्यादा हो चुके है। प्रार्थी विवादित आराजी का खातेदार घोषित कराने व रेकार्ड में विवादित आराजी अपने नाम दर्ज कराने का अधिकारी है। अप्रार्थीगण खसरा नम्बर 547 की सम्पूर्ण रकबे की नाप कर नक्शे में तरमीम कराना चाहते है व खसरा नम्बर 547 रकबा लगभग 86 बीघा का है और अन्य व्यक्तियों की भी इसमें खातेदारी दर्ज है और ए.डी.ए. के नाम भी कुछ भूमि दर्ज है। दिनांक 15.9. 2020 को अप्रार्थीगण, उनके नौकर चाकर नाप चोप कर नक्शे में तरमीम कर राजस्व रिकार्ड में नक्शे में परिवर्तन करना चाहते है। अतः प्रार्थना कारण पैदा हुआ निरन्तर जारी है। प्रार्थी को उक्त रकबे में 15 बीघा अलाट हुई जिसका श्रीमान् के यहाँ धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में खातेदारी प्राप्त करने का दावा चल रहा है। अगर अप्रार्थीगण अपने मंसूबे में सफल हो गये तो प्रार्थी के दावे पर भी प्रभाव पड़ेगा क्योंकि प्रार्थी खसरा नम्बर 547/4 पर 15 बीघा पर काबिज काश्तकार है और दावा डिक्री होने के बाद नक्शे में

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़

तरमीम में भी दिक्कत आयेगी क्योंकि वर्तमान प्रार्थी जहाँ काबिज है उस पर अन्य खातेदारों की तरमीम नक्शे में बता दी जायेगी तो मुकदमेबाजी बढ़ने की प्रबल संभावना है। प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थी के पक्ष में है। सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में है यदि अप्रार्थीगण अपने मंसूबे में सफल हो गये तो प्रार्थी को अपूर्तनीय क्षति होगी जिसकी पूर्ति संभव नहीं है, अतः प्रार्थना प्रार्थी है कि दावे के निस्तारण तक अप्रार्थीगण खसरा नम्बर 547 के राजस्व रेकार्ड नक्शे में कोई परिवर्तन नहीं करे व सीमाज्ञान नहीं करे इस प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा बहक प्रार्थी विरूद्ध अप्रार्थी देने की कृपा करावे व खसरा नम्बर 547/4 में जहाँ 15 बीघा पर प्रार्थी काबिज है उसकी नक्शा तरमीम नहीं करे। इस प्रकार की राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति अप्रार्थीगण बनाये रखे।

2. प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दिनांक 16.10.2020 को दर्ज किया तथा नोटिस अप्रार्थी को वास्ते जाहिर करने की वजह बाबत जारी किये गये। बावजूद तामिली के अप्रार्थी संख्या 01 व 02 अनुपस्थित रहे। प्रकरण में न्यायालय श्रीमान राजस्व अपील अधिकारी का आदेश दिनांक 14.01.2025 का इस आशय से प्राप्त हुआ कि प्रकरण में उभयपक्ष को सुनवाई का अवसर देतें हुये प्रकरण का निस्तारण 30 दिवस में किया जावे।

3. दिनांक 06.04.2026 को हमारे द्वारा वकील प्रार्थी एवं पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई एवं प्रार्थना पत्र एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। आवंटन सलाहकार समिति कार्यवाही विवरण दिनांक 19.06.1969 के मुताबिक खसरा संख्या 353 में से 15 बीघा की गैर खातेदारी प्रदान करने का विवरण अंकित है किन्तु इसका नामान्तरण राजस्व रिकार्ड में नहीं किया गया। प्रार्थी वादग्रस्त भूमि पर केवल बतौर अतिक्रमी रहा है। हमारे द्वारा धारा 212 राज.का. अधि. के प्रार्थना पत्र का तीन बिन्दुओं पर विवेचन किया गया।

प्रथम दृष्टया प्रकरणः— वादअधीन भूमि में प्रार्थी वर्तमान में खातेदार नहीं है ना ही ऐसा कोई दस्तावेज प्रार्थी के द्वारा पेश किया गया है जिससे वादअधीन भूमि में उसका हक जाहिर हो, जबकि वादअधीन भूमि राजकीय भूमि (अजमेर विकास प्राधिकरण के नाम) है जिससे प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थी के पक्ष में नहीं है।

सुविधा का संतुलनः— वादअधीन भूमि में प्रार्थी की खातेदारी दर्ज नहीं है, वादअधीन भूमि वर्तमान में राजकीय भूमि (अजमेर विकास प्राधिकरण के नाम) है जिससे सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में नही है।

अपूरणीय क्षतिः— प्रार्थी वादअधीन भूमि में खातेदार नहीं है वादअधीन भूमि राजकीय भूमि (अजमेर विकास प्राधिकरण के नाम) है जो कि अप्रार्थी के नाम दर्ज है, अपूरणिय क्षति अप्रार्थी को कारित है। प्रार्थी प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणिय क्षति को सिद्ध करने में असफल रहें है अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.का. अधि. का अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। अन्य बिन्दु वाद विचारण के दौरान तय किये जायेगें।

आदेश हमारे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 06.04.2026 को खुले न्यायालय में सुनाय हस्ताक्षरित किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)